

पूव रेलव
महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय
17, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700 001

संख्या-ई.850/हिंदी-2/5.4.6

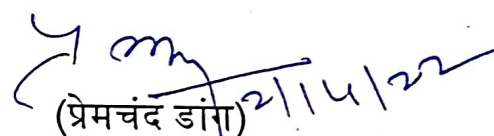
कोलकाता, दिनांक 21.04.2022

सर्व संबंधित,

विषय : तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए
“ लाल बहादुर शास्त्री मौलिक लेखन पुरस्कार योजना” आधार वर्ष -2021
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.04.2022 का पत्र सं. हिंदी – 2020/प्र.-7/2

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.04.2022 के पत्र सं. हिंदी – 2020/प्र.-7/2 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है। कृपया इसका व्यापक प्रचार किया जाए और उक्त विषय पर पुस्तक की 02 मुद्रित अथवा 02 टाइप की हुई प्रतियां भेजने के साथ-साथ अपेक्षित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक 16.08.2022 तक इस कार्यालय को कृपया उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : यथोक्त


(प्रेमचंद डांग)
उप महाप्रबंधक(राजभाषा)
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2022/प्र.-7/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11.04.2022

महाप्रबंधक (राजभाषा)	महाप्रबंधक (राजभाषा)	महानिदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मध्य रेलवे, मुंबई	दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली	भा.रे.रा.अकादमी, वडोदरा	कोंकण रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	अ.अ.मा.सं., लखनऊ	रे.वि.नि.लि., नई दिल्ली
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	मेट्रो रेलवे, कोलकाता	इरिसेन, पुणे	कॉनकॉर, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज	इरिमी, जमालपुर	इरकॉन, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी	बरेका, वाराणसी	इरिसेट, सिंकंदराबाद	राइटस, गुरुग्राम
दक्षिण रेलवे, चेन्नै	सडिका, चेन्नै	इरिएन, नासिक रोड	रेलटेल, गुरुग्राम
दक्षिण मध्य रेलवे, सिंकंदराबाद	रेडिका, कपूरथला	इरिटिम, लखनऊ	आईआरसीटीसी, नई दिल्ली
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	चिरेका, चित्तरंजन	प्रबंध निदेशक	प्रधान मुख्य प्रशाधिकारी,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	रेपका, बेंगलूरु	भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली	पटियाला रेलइंजन कारखाना,
पश्चिम रेलवे, मुंबई	आ.रे.डि.का., रायबरेली	डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,	पटियाला
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	निदेशक	नई दिल्ली	कॉफमो, नई दिल्ली
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	जगजीवन राम रेसुब अकादमी,	क्रिस, नई दिल्ली	रजिस्ट्रार
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	लखनऊ.	प्रधान सचिव	रेल दावा अधिकरण,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय,	भारतीय रेल सम्मेलन,	नई दिल्ली
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	नई दिल्ली.	नई दिल्ली	

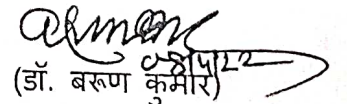
विषय : तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना" - आधार वर्ष 2021.

रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूलरूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की उपर्युक्त योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष निम्नलिखित तीन पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है:-

1. प्रथम पुरस्कार (एक) : 20,000/-रु
2. द्वितीय पुरस्कार (एक) : 10,000/-रु
3. तृतीय पुरस्कार (एक) : 7,000/-रु

इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रविष्टियां भेजने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा संलग्न है। लेखक द्वारा अपनी पुस्तक की 2 मुद्रित अथवा 2 टाइप की हुई प्रतियां भेजने के साथ-साथ अपेक्षित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में भरकर अधोहस्ताक्षरी को कमरा नं. 544, रेल भवन, नई दिल्ली को 31.08.2022 तक भिजवा दी जाए। अनुरोध है कि इस योजना का अपने रेल कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिकाधिक अधिकारी/कर्मचारी तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित हों।

संलग्नक: मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रोफार्मा


(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि: बोर्ड कार्यालय तथा आरपीएसएफ कैंप, दया बस्ती, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना" के मार्गदर्शी सिद्धांत

(प्राधिकार: बोर्ड कार्यालय का (i) दिनांक 05.06.2015 का पत्र सं.हिंदी-2015/प्र.-7/9

(ii) दिनांक 20.09.2017 का पत्र सं.हिंदी-2007/प्र.-7/6/2)

1. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 03 पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे:-

पुरस्कार का विवरण	पुरस्कार की राशि
प्रथम पुरस्कार (एक)	: 20,000/-रु
द्वितीय पुरस्कार (एक)	: 10,000/-रु
तृतीय पुरस्कार (एक)	: 7,000/-रु

2. इस योजना में रेलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों सहित, रेलवे से इतर व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं।
3. प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों की 30-30 प्रतियां प्रत्येक रेलवे द्वारा तथा 10-10 प्रतियां प्रत्येक उत्पादन इकाइयों द्वारा हिंदी पुस्तकालयों के लिए खरीदे जाने की परिपाटी है। इन पुस्तकों की खरीद पर धनराशि की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा पुस्तकालयों के लिए आवंटित बजट राशि में से की जाएगी।
4. पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. जिस मौलिक पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्ष में लिखी गई (टंकित प्रति) हो अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए।

उदाहरणार्थ: यदि आधार वर्ष 2021 के लिए प्रविष्टियां मांगी गई हैं, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2019 से 31.12.2021 के बीच पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।

6. पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए।
7. पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुस्तकों का चयन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
8. जिन पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका हो, उन्हें दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

9. जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
10. वर्ष विशेष के लिए भेजी जाने वाली कृतियां/प्रविष्टियां 31 अगस्त, 2022 तक बोर्ड कार्यालय में निरपवाद रूप से पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त होने वाली कृतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. पुरस्कृत की जाने वाली किसी एक कृति के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में, देय पुरस्कार की राशि उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी। लेकिन ऐसी प्रविष्टियों के साथ भेजे जाने वाले संयुक्त घोषणा प्रपत्र में संबंधित लेखकों के नाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए।
12. जिन लेखकों की पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना में शामिल किया जाएगा, उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) बना रहेगा।
13. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
14. लेखक को अपनी पुस्तक/कृति की 2 मुद्रित अथवा 2 टंकित प्रतियां भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर निदेशक (राजभाषा), कमरा नं-544, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), रेल भवन, नई दिल्ली को भेजना होगा।
15. एक लेखक पुरस्कार योजना के लिए केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।
16. इस योजना से संबंधित सभी मामलों पर रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।
17. इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों/टंकित प्रतियों का प्रकाशन से पूर्व भाषागत आशोधन (प्रूफ रीडिंग) किया जाना अपेक्षित है ताकि व्याकरण संबंधी कोई अशुद्धि न रहे।
18. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए, तथापि इससे छोटी पुस्तक पर निर्णायक मंडल अपने विवेकानुसार विचार कर सकता है।

प्रोफार्मा

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम (द्विभाषी रूप में)
(ख) पदनाम
(ग) कार्यालय का नाम और पता
2. पुस्तक का नाम
3. पुस्तक का विषय
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो)
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष)
6. पृष्ठों की संख्या

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है। यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

लेखक के हस्ताक्षर :

परा नाम :

कार्यालय का पूरा पता:

रेलवे फोन :

मोबाइल नं. :

ई-मेल :

फैक्स नं. :

दिनांक:

स्थान :